संख्या- 21/2026/36/छप्पन-2026-18/2002 टी0सी0

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांकः 23 फरवरी, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश के चार हवाई अड्डों (आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और अलीगढ़) पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी CNS/ATM सेवाओं हेतु भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 324/आर0सी0एस0-2026/सी-4/2018 दिनांक 09.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र संख्या– AAI/ATM/OPS/04-209/2024 दिनांक 09 जुलाई, 2025 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उत्तर प्रदेश के चार हवाई अड्डों (आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और अलीगढ़) पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी CNS/ATM सेवाओं हेतु भुगतान के सम्बन्ध में बजट की उपलब्धतानुसार रू0 252.85 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख पच्चासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु रू0 63,21,250/- (रूपए तिरेसठ लाख इक्कीस हज़ार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के निवर्तन हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आर0सी0एस0 में चयनित उत्तर प्रदेश के चार हवाई अड्डों (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, और श्रावस्ती) पर CNS/ATM सेवाओं हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के मध्य दिनांक 02 जून, 2023 को सम्पादित अनुबन्ध के प्रस्तर-7.4 के अनुसार CNS-ATM Service Charges हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 04 हवाई अड्डों यथा अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, और श्रावस्ती हेतु बजट की उपलब्धतानुसार कुल धनराशि रू0 252.85 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख पच्चासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक एयरपोर्ट हेतु रू0 63,21,250/- (रूपए तिरेसठ लाख इक्कीस हज़ार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि संबंधित जिलाधिकारी के निवर्तन हेतु स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य CNS/ATM सेवाओं हेतु दिनांक 02 जून, 2023 को सम्पादित अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रू0 252.85 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख पच्चासी हजार मात्र) प्रति एयरपोर्ट रू0 63,21,250/- (रूपए तिरेसठ लाख इक्कीस हज़ार दो सौ पचास मात्र) की दर से तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, सम्बद्ध 04 एयरपोर्ट (अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट तथा श्रावस्ती) के निर्वतन पर रखी जाएगी और सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित एयरपोर्ट के Designated Bank Account में जमा करायी जाएगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्ष 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय" से वहन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2026/36(1)/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, अलीगढ़/आजमगढ़/चित्रकूट एवं श्रावस्ती।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी अलीगढ़/आजमगढ़/ चित्रकूट/ श्रावस्ती।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
(6) कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली- 110003।
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।